



क्रमांक: एफ4 (196)आकाशि /नि.सं./2017/1392
आदेश

दिनांक- 07-02-2023

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबद्धी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 (एक सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विभागों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के माध्यमें दीर्घकृत की जाती है।

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय/विषय
जमना शिक्षा समिति, नीलकण्ठ हाउस, राधाकृष्णपुरा, सीकर।	जमना कॉलेज, जीवनपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शास्त्राचारी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातक स्तर पर - कला संकाय- राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य। विज्ञान संकाय- भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र।

- संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार रथायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में शीलीकृती होना चाहिए विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात ही विधायिकों को प्रेषण दिया जाए।
- संस्था सकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का सूचित करेगी तथा सहाविद्यालय तदनुसार तथा संस्था सीमा में ही प्रोत्साहन दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अहंतारामी प्राचार्य एवं व्याख्याता तथा नियमानुसार आयुक्तालय अर्थक्षणिक रदाक की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2022-23 तथा द्वादश में जारी होने वाली भौतिकों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक साझियोंकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ प्रवेश-पक्षिया समाप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरक अपलोड करेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय की संज्ञानकारी DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रत्युत्त करेंगे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निररत कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सदाचार, गाठ उच्च शिक्षा मंत्री मंत्रोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संघिय, प्रमुख शासन संघिय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संघिय, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेजटर, सीकर।
- कुल संघिय, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शास्त्राचारी विश्वविद्यालय, सीकर।
- संघिय, सम्बंधित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- राज्यत प्रत्यावली।

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.02.07 01:46:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3098223



*संयुक्त
संघिय
जमना शिक्षा समिति
सीकर (राज.)*



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कौलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpicce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एक (186)आवागिरि/नि.सं./2017/ 755

दिनांक: - 21-01-2021

आदेश

राजस्थान गवर्नर सरकारी शैक्षणिक शास्त्र अधिनियम, 1989 तथा तत्वावधी नियम, 1993 एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-2022 (दो सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्ण संचालित शाकाय व विषय में अखण्ड अनापत्ति प्रमाण पत्र में अधिकृदि निम्नलिखित शर्तों के साथ संघर्षता की जाएगी।

संचालक शास्त्र	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पूर्ण संचालित शाकाय व विषय
जनन शिक्षा शास्त्र नीतिकाल द्वारा संचालित शास्त्र राज्यकालीन शास्त्र, राजकारण	जिम्मा कौलेज जीवनपूर्ण शास्त्रीय दैत्यरामगढ़, जिला रीकर	परिषिद्ध दीनदयाल उपाध्याय शोलाली विश्वविद्यालय कौले	स्नातक स्तर पर – कला शाकाय – राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, हिन्दी शास्त्रिय।

दिग्नान शाकाय – भौतिक शास्त्र, गणित
समाज शास्त्र, व्यास्पति शास्त्र, प्राची
शास्त्र।

1. शरणा अखण्डारी जनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार यथा वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. सत्या सत्र 2022-23 में नियमानुसार जनापत्ति प्रमाण पत्र अधिकृदि हेतु आवेदन करेगी।
3. सत्या द्वारा चावली जूता राशि (एक ढाँचा) का प्रत्येक 6 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सत्या अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा मरण अपेक्षित उपलब्ध करायगी।
5. गरमा की राशि-राशि पर यूजीसी / राज्य सरकार/आयुक्तालय कौलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. सत्या संकेत विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी तथा विश्वविद्यालय के प्रबन्धन में दीजीडीएडी संबंधित विश्वविद्यालय रा संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्प्रवात ही विवादियों को प्रवेश दिया जावे।
7. सत्या गणकाय व विषयवार शीर्षों का आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय शीर्षों शिक्षा विभाग को शिक्षा करनी तथा नहाविद्यालय तदनुसार तथ संस्कारी शीर्षों में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. सत्या महाविद्यालय में अध्यापन काम हेतु यूजीसी जहांतारी शाकाय एवं व्याख्याताओं तथा नियांत्रित भागीदारानुसार अशोषित रूपान्तर की नियुक्ति के रूपमें 2 अन्य नियांत्रित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. सत्या पति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांकेतिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ नियांत्रित अधिकृत ने ग्रहकर अपलोड करेगी।
11. भानव संसाधन विभाग गोपनीय भारत सरकार के डेवेलपर www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भारकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण-पत्र की हाई कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अत्यर्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र लो निरस्त कर दिया जाएगा।

कौलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिवेदिय निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु प्रेषित हैं –

1. प्रिशिट राजायक, नाठ उमा शिक्षा नीति महाविद्या, राजस्थान, जयपुर।
2. शिक्षा नीतिक द्वारा नाम संविद उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी नीतिक आयुक्त, कौलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. शिक्षा काउन्सिल, नीकर।
5. गृह संगठन परिषिद्ध दीनदयाल उपाध्याय शोलाली विश्वविद्यालय, कौले।
6. राजीव राम्यकाल शाकायलय।
7. नालियाली शास्त्र, आयुक्तालय, कौलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. नीकर प्रशासनी।

२१.१.२०२१
संविध
जनन शिक्षा समिति
स्नीकर (राज.)

संविध-निदेशक (निःसं)।
कौलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर^{प्रमाणित}
एफ4 (196)भाषाशि / नि.स./ 16 / ५७९

प्राचीन राष्ट्र 4 (196) आकाशि / नि. सं. / 16 / ५७९

१२४ विषय

दिनांक - १९.७.२०१७

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्था को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवृट्ट विधायी संहित सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तीन वर्षों के लिए स्नातक रस्ते पर अखण्ड अनापत्ति प्रस्तुत किया गया है।

आवश्यक समाज का नाम एवं पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सामग्री विद्यालय	आवाहित विषय / शास्त्र
सामाजिक समिति, वीलवेल गैलरी, रामपुरापुरा, रोकर।	जगना कॉलेज, जीवनपुरा, ताह. भालारामगढ़, रीकर।	गो दीनदयाल उपाध्याय शैक्षाशाली विद्यालय, शीकर।	अनियार्थ विषयों सहित— स्नातक रत्त पर— कला संकाय—गृहवेजान, चित्रकला, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य भूगोल, कम्प्यूटर, ईडीएस, उन्नाज शास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान। वाणिज्य संकाय— एवीएसटी, ईएफएम व्यावसायिक प्रशासन। विज्ञान संकाय— गौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, गणित।

प्रतिरिदिप्ति वैज्ञानिकों को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्ययोगी हेतु प्रवित्त है -

- प्रिंसिपल शाखिय, गो ० उच्च शिक्षा मंडी संस्थान, राजस्थान, जयपुर है।
 - प्रिंसिपल शाखिय, अधिरिक्षण मुख्य संस्थान, उच्च शिक्षा पिंगाम, राजस्थान, जयपुर ।
 - प्रिंसिपल शाखेकार, सीकर;
 - गुरु गोपीनाथ, प्र० दीनदाल उपराज्याय शेखावाटी पिरणपिटालय, सीकर।
 - सम्बिधान वाराणी/मानविकालय।
 - प्राइवेट शाखा, आयुर्वातालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 - शिक्षा वाराणी।

१२९५
संधिय

प्रियम् -
संयुक्त-गिरेशक (गि०८३०)
कॉलेज शिक्षा, शास० जयपुर